

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2016/माघ 23, 1937

No. 64]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2016/MAGHA 23, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2016

फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.-अधिसूचना संख्यांक फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई तारीख 4 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड- 4, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधित) विनियम, 2015 के पृष्ठ संख्या 1-4 में प्रकाशित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना में –

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 8 में “उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख साठ दिनों की अविधि के भीतर” के स्थान पर “उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख तीस दिनों की अविधि के भीतर” पढ़ा जाएगा।
2. पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के अंतर्गत “(1) इन विनियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है” के स्थान पर “(1) इन विनियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015 है” पढ़ा जाएगा।
3. पृष्ठ 3, सारणी के स्तंभ 4 के अंत में चिन्ह (") सन्निविष्ट किया जाएगा।
4. पृष्ठ 3, शीर्षक टिप्पण के अंतर्गत “मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अभी तक संशोधन नहीं किया गया है” के स्थान पर “मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 4

में अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा.सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014;
- (ii) फा.सं.1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014, तारीख 4 नवंबर, 2015” पढ़ा जाएगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./364]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

CORRIGENDA

New Delhi, the 11th February, 2016

F.No.P.15025/264/13-PA/FSSAI.—In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published in the Gazette of India, at pages 1-4 of Food Safety and Standards (Contaminants, toxin and Residues) (Amended) Regulation, 2015, Extraordinary, Part III, Section 4, Vide notification number F.NO.P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015,-

1. Page 3, line 6 *for* “before the expiry of the period of Sixty days” *read* “before the expiry of the period of Thirty days.”
2. Page 3, in short title and commencement *for* “(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015” *read* “(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Second Amendment) Regulations, 2015”.
3. Page 4, in the foot note *for* “The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F.No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide F.No. 1 12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3rd December, 2014” *read* “The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide notification number F.No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:
 - (i) F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated 3rd December, 2014 and
 - (ii) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015.”

PAWAN AGRAWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./364]